भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 141*

2 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय दोगुनी करना

***141. श्री कानुमुरू रघु राम कृष्णराजूः**

श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्लेः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के लिये विभिन्न उपायों की जांच कर रही है और यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के लिये उपाय एवं कार्यनीति तैयार करने हेतु कोई पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पैनल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौप दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके निष्कर्ष क्या है;

(घ) इस संबंध में पैनल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार पैनल की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>किसानों की आय दोगुनी करना से संबंधित लोकसभा में दिनांक 02.07.2019 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 141 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) एवं (ख): जी हां। सरकार ने 'किसानों की आय दोगुनी' करने से संबंधित मुद्दों की जांच करने और उस लक्ष्य को प्राप्त करने संबंधी कार्यनीतियों की सिफारिश करने के लिए अप्रैल 2016 में एक अन्तर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था।

(ग) एवं (घ): इस समिति ने सितम्बर 2018 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी इस समिति ने कृषि को मूल्यवाहित उद्यम मानते हुए उन्नत मंडी संपर्कों के साथ किसानों को सशक्त करने तथा लगातार उत्पादकता-उत्पादन और किसानों के लिए आय वृद्धि के लिए आधार के रुप में 'स्वंय सशक्त मॉडल' बनाने का सुझाव दिया है। इससे पांच प्राथमिक विषयों अर्थात किसानों के उत्पाद का ईष्टतम मौद्रिककरण, उत्पादन की सततता, उन्नत संसाधन उपयोग दक्षता, विस्तार का पुन:सशक्तिकरण और ज्ञान आधारित सेवाएं तथा जोखिम प्रबंधन के लिए प्राथमिक कार्यनीति दिशानिर्देशों का आधार तैयार होता है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में आय-केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देते हुए कृषि-क्षेत्र को पुन: अनुकूल बनाने की सिफारिश की है जिसमें निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक उत्पादन प्राप्त करना है और वृद्धि के 7 मुख्य स्रोतों अर्थात फसल उत्पादकता में सुधार; पशुधन उत्पादकता में सुधार; संसाधन उपयोग दक्षता अथवा उत्पादन की लागत में बचत; फसलन सघनता में वृद्धि; उच्च मूल्यवाली फसलों को अपनाना; किसानों द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्यों में सुधार और कृषि से गैरकृषि कार्यों की ओर स्थानांतरण को चिन्हित किया है।

डीएफआई समिति ने कृषि मण्डी सुधार, किसानों के लिए मूल्य समर्थन प्रणाली, खेती के लिए इनपुट लागत कम करना, मृदा स्वास्थ्य सिंचाई प्रबंधन, फसल हानि के संबंध में जोखिम प्रबंधन, संस्थागत ऋण प्रणाली, सूखा प्रबंधन और सुशासन में सुधार तथा संरचनात्मक सुधार के साथ-साथ माध्यमिक कृषि जैसी विभिन्न सिफारिशें की हैं।

सरकार ने डीएफआई समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक अधिकार प्राप्त निकाय का गठन किया है।

(ड.): पहले ही शुरु किए जा चुके विभिन्न कार्यकलाप अनुलग्नक पर उपलब्ध हैं।

अनुलग्नक

किसानों की आय दोगुनी करना से संबंधित लोकसभा में दिनांक 02.07.2019 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 141

शुरु किए जा चुके विभिन्न कार्यकलाप

i. राज्य सरकारों के माध्यम से मंडी सुधार करना।

ii. मॉडल संविदा खेती अधिनियम को लागू करके राज्य सरकारों के माध्यम से संविदा खेती को बढ़ावा देना,

iii. किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम की शुरूआत

iv. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण संबंधी प्रमुख योजना का कार्यान्वयन करना ताकि उर्वरकों का ईष्टतम उपयोग किया जा सके।

v. "प्रति बूंद अधिक फसल' गतिविधि जिसके अंतर्गत जल के उचित उपयोग के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

vi. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है

vii. ''हर मेढ़ पर पेड़'' के अंतर्गत कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करके बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया है। गैर-वन्य सरकारी भूमि के साथ-साथ निजी भूमि पर मूल्य संवर्धन और उत्पाद विकास पर बल के साथ बांस रोपण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरूआत की गई है।

viii. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने मौसम 2018-19 से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत से कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

ix. किसान के लिए लाभकारी कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई प्रमुख (अम्ब्रेला) योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) का अनुमोदन किया है। योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों के उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है और यह किसानों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

x. परागण के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

xi. गोवंशीय दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि और किसानों के लिए दूध उत्पादन को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यान्वित किया गया है।

xii. पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने और अनुवांशिक सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यान्वित किया गया है।

xiii. मात्स्यिकी क्षेत्र में उच्च क्षमता को देखते हुए, अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके बहु आयामी कार्यकलापों के साथ नीली क्रांति का कार्यान्व्यन किया जा रहा है।

xiv. सरकार ने पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलाप करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा देने का अनुमोदन किया है और ऐसी श्रेणियों के किसानों को भी ब्याज छूट सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

समिति ने एक आय-केंद्रितता पर ध्यान केंद्रित करके कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की, जो केवल लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने से परे है और विकास के सात प्रमुख स्रोतों, अर्थात, फसल उत्पादकता में सुधार पर केंद्रित है; पशुधन उत्पादकता में सुधार; संसाधन उत्पादन की लागत में दक्षता या बचत का उपयोग करते हैं; फसल की तीव्रता में वृद्धि; उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर विविधता; किसानों द्वारा प्राप्त वास्तविक कीमतों में सुधार; और खेत से गैर-कृषि व्यवसायों में बदलाव।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में आय-केन्द्रित दृष्टकोण अपनाने पर जोर देते हुए कृषि-क्षेत्र को पुन: अनुकूल बनाने की सिफारिश की है जिसमें निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। आय का दृष्टिकोण, उच्च उत्पादकता प्राप्त करने, खेती की लागत कम करने और उपज पर लाभकारी मूल्य दिलाने पर जोर दिया जाता है ताकि खेती से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। समिति ने